संख्या 74-/स.क –2002–206(समाज कल्याण)/2002

प्रेषक,

कुंवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.
देहरादून, उत्तरांचल

समाज कल्याण अनुभाग देहरादून: दिनांक: 30 मार्च 2002

विषय: अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता की अवशेष राशि को बचत खाते में जमा किए जाने के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3151/बहु.निगम/2001–02 दिनांक 23.3.2002 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2000–01 में अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास हेतु स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की अवशेष राशि रू. 3,02,96,000/– (रूपये तीन करोड दो लाख छियानब्बे हजार मात्र) की धनराशि जो जिला प्रबन्धक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पी. एल. ए में रखी गई है, को आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. देहरादून के बचत खाते में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है.

2 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 867/वित्त अनु–2/2002 दिनांक 30.3.2002 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है.

भवदीय,

30/3/2002

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः /स.क.–2002–206(समाज कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार उत्तरांचल इलाहाबाद
2. निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल देहरादून.
3. निदेशक कोषागार देहरादून.
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून.
5. जिला प्रबन्धक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम देहरादून.
6. वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल देहरादून.
7. गार्ड फाईल.

आज्ञा से

(गरिमा रौंकली)
अनु सचिव